न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

मुकदमा नम्बर 84 / 2026 निर्णय दिनांक 27.04.2026
ऑनलाईन नम्बर 2026 / 161

फेफाराम पुत्र मांगुराम जाति मेघवाल निवासी कीतासर भाटियान तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

—वादी—

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भूराजस्व श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

—प्रतिवादी—

—उपस्थितिः—

1. श्री राजूराम बाना अभिभाषक वादी।
2. पैरोकारराज स्टेट की ओर से।

<u>वाद अन्तर्गत धारा 88 आरटीए व 136 भू—राजस्व अधिनियम</u>

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी की और से वादपत्र निम्न आधारो पर सादर प्रस्तुत है कि वादी के संयुक्त खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 360 तादादी 11.3000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 6 तादादी 6.4200 हैक्टेयर रोही कीतासर भाटियान में स्थित है जिसमें वादी के पिता का नाम मांगूराम दर्ज था जिसको भागूराम दर्ज कर दिया है जबकि वादी के पिता का सही नाम मांगूराम है। उक्त खेतों पर वादी का कब्जा—काश्त एंव उपयोग उपभोग चला आ रहा है। वादी ने बैंक से किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने हेतु राजस्व रिकार्ड की नकले निकलवाकर बैंक में आवेदन किया तब बैंक ने राजस्व रिकार्ड के अनुसार वादी से पहचान के सबूत मांगे एवं वादी का नाम सही नही होने से वादी को बैंक ने ऋण देने से इनकार कर दिया वादी के पहचान पत्र राशन कार्ड एवं शिक्षा के दस्तावेज फेफाराम नाम से बने हुए है जिससे बैंक ने किसान क्रेडिट कार्ड बनाने से इनकार कर दिया एवं कहा कि राजस्व रिकार्ड में नाम सही करवाने पर ही लोन दिया जायेगा तब वादी ने प्रतिवादी से राजस्व रिकार्ड में नाम अपने पहचान पत्र के अनुसार करने के लिए निवेदन किया तो प्रतिवादी ने रिकार्ड सही करने से इनकार कर दिया। वादी के पिता का नाम मांगूराम था जिसको भागूराम दर्ज कर दिया है वादी के खेत के राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता का नाम भागूरार की जगह मांगूराम दर्ज कर दिया है जिसको वादी सही करवाने का अधिकारी है। वादी के खेत के राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम के वादी का नाम पहचान के दस्तावेजों के विपरीत होने से कई तरह की परेशानिया आती है एवं वादी अपने खेत पर केसीसी बनाने एवं सरकार की विभिन्न योजनाओ का लाभ उठाने से वचिंत हो रहा है जिससे वादी अपने खेत को विकसित करने से वंचित है। वादी अपने के पहचान के सबूत में फेफाराम पुत्र मांगुराम होने से वादी अपने खेत के राजस्व रिकार्ड में अपना सही नाम फेफाराम पुत्र मांगुराम दर्ज करवाने का अधिकारी है। वादी ने अपने खेत पर केसीसी के लिये राजस्व रिकार्ड की नकले निकलवाई तो वादी को पता चला कि वादी के पिता का नाम भागुराम दर्ज है जिसको सही करवाने के लिए प्रतिवादी से सम्पर्क किया तो प्रतिवादी ने नाम सही करने से इनकार कर दिया प्रतिवादी के इन्कार करने के दिन से ही वादी को वाद हेतु हासिल है। वादी ने उक्त दावा में राजस्थान सरकार

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

को पक्षकार संयोजित किया गया है स्टैट के विरूद्ध दावा दायर करने से पूर्व दो माह का नोटिस दिया जाना आवश्यक है स्टैट को दो माह का नोटिस दिया जाकर दो माह का इन्तजार किया जाता है तो केसीसी का सीजनल समय निकल जायेगा और वादी को अपूरणीय क्षति होगी । उक्त दावा में स्टैट के विरूद्ध कोई अपेक्षित अनुतोष नही मागा गया है स्टैट द्वारा राजस्व रिकार्ड का संधारण एवं रिकार्ड में संशोधन किया जाता है इसलिए स्टैट को पक्षकार संयोजित किया गया है। वादगत खेत रोही कीतासर भाटियान के घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती का है जिसका श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार श्रीमान् हाजा न्यायालय को प्राप्त है। वादी का दावा पूर्ण न्याय शुल्क एवं समयावधि के अन्दर मियाद प्रस्तुत है। अतः वादी का दावा स्वीकार किया जाकर निम्न प्रकार से आदेश फरमानें की कृपा करें–

(क) कि वादी संयुक्त खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 360 तादादी 11.3000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 6 तादादी 6.4200 हैक्टेयर रोही कीतासर भाटियान में फेफाराम पुत्र भागुराम की जगह फेफाराम पुत्र मांगुराम घोषित किया जावें

(ख) कि प्रतिवादी को आदेशित किया जावे कि वादी खेत खसरा नम्बर 360 तादादी 11.3000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 6 तादादी 6.4200 हैक्टेयर रोही कीतासर भाटियान में फेफाराम पुत्र भागुराम की जगह फेफाराम पुत्र मांगुराम दर्ज कर राजस्व रिकार्ड में सशोधन करें ।

(ग) कि अन्य कोई न्यायोचित अनुतोष जो हितकर वादी हो अथवा दौराने दावा हितकर वादी हो जावें वह भी आज्ञाप्त फरमाया जावें ।

वादी के उक्त वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। स्टेट की ओर से पैरोकारराज द्वारा जवाबदावा पेश किया गया। वाद में विवाद्यक बिन्दु नहीं होने के कारण तनकीहात कायम नहीं की गई। वादी की ओर से साक्ष्यवादी PW-1 में स्वयं का शपथ पत्र पेश किया गया। वादी के बयान लेखबद्ध किये गये व वादी द्वारा दस्तावेज प्रदर्श करवाये गये। जिरह पैरोकारराज शून्य। बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। संक्षेप में स्टेट को वादी वाद स्वीकार करने में आपत्ति नहीं होने व वादी का वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

निर्णय

खेत खसरा नम्बर 360 तादादी 11.3000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 6 तादादी 6.4200 हैक्टेयर रोही कितासर भाटियान तहसील श्रीडूंगरगढ़ के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम ''फेफाराम पुत्र भागुराम'' के स्थान पर ''फेफाराम पुत्र मांगूराम'' घोषित किया जाकर तदनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तदनुसार पालना सुनिश्चित करें। डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 27.04.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(शुभम शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

अन्तिम डिक्री मुकदमें इन्तदाई

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्री डूंगरगढ

पीठासीन अधिकारी शुभम शर्मा आरएएस

उनवान

फेफाराम पुत्र मांगुराम जाति मेघवाल निवासी कीतासर भाटियान तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भूराजस्व श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)
मुकदमा नम्बर 84/2026
दावा बाबत खाताः घोषणात्मक, रिकार्ड दुरूस्ती
निर्णय दिनांक 27.04.2026

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलास कतई रूबरू अदालत बहाजरी श्री राजूराम बाना अधिवक्ता मिनजानिब मुदई व स्टेट की ओर से पैरोकारराज मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि खेत खसरा नम्बर 360 तादादी 11.3000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 6 तादादी 6.4200 हैक्टेयर रोही कितासर भाटियान तहसील श्रीडूंगरगढ़ के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम ''फेफाराम पुत्र भागुराम'' के स्थान पर ''फेफाराम पुत्र मांगूराम'' घोषित किया जाकर तद्नुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तद्नुसार पालना सुनिश्चित करें।

लीज....0......मुबलिग......0........बाबत......0.........खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह...0..फीसदी सालाना आज को जारी..........तारीख वसूलयाबी.......को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज दिनांक 27 माह 04 सन् 2026 को जारी किया गया ।

(शुभम शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
श्री डूंगरगढ

उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1.वाद पत्र के लिए स्टाम्प	0	1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0
2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0	2. अर्जी के लिए स्टाम्प	0
3..प्रदर्शो के लिए स्टाम्प	0	3. प्लीडर की फीस	0
4.........रूपये पर प्लीडर की फीस	0	4. साक्षियों के लिए निर्वाह भत्ता	0
5.साक्षियों के लिए निर्वाह–भत्ता	0	5. आदेशिका की तामिल	0
6.कमिश्नर की फीस	0	6. कमिश्नर की फीस	0
7.आदेशिका की तामिल	0		
योग	0	योग	0

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

उपखण्ड अधिकारी
श्री डूंगरगढ

उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)